न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 22/22 निर्णय दिनांकः– 19.8.22

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद हाल निवास म0नं0 डी.सी.एम. रोड बोम्बे योजना कोटा

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से– श्री आबिद खान अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

संक्षेप में मामला यह है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता नं0 नया 167 पुराना 421 पर खसरा नम्बर 1230 की 0.15 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम ख्वाजू दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 संलग्न है।

यह कि वादी का नाम दर्ज करते समय घर पर बोलते नाम ख्वाजू के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम मोहम्मद ख्वाजू है। तथा समस्त दस्तावेजों में भी वादी का नाम मोहम्मद ख्वाजू है जिससे वादी को सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड, आदि लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वादी ने निवेदन किया है कि ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता नं0 नया 167 पुराना 421 पर खसरा नम्बर 1230 की 0.15 हेक्टर भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद से जवाब सरकार लिया गया। तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद एवं मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद एक ही व्यक्ति होना प्रकट किया है। तहसीलदार दीगोद की ओर से अभिशंषा की है कि वादी का नाम ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता नं0 नया 167 पुराना 421 पर खसरा नम्बर 1230 की 0.15 हेक्टर भूमि में वादी का नाम ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.8.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी— श्रीमति हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडौद तहसील दीगोद हाल निवास म0नं0 डी.सी.एम. रोड बोम्बे योजना कोटा (वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (राज0) (प्रतिवादी)

वादी की ओर से— श्री आबिद खान अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से— तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88—89 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नम्बर 22/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू—ब मिनजानिब मुद्दालय न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते खाता नं0 नया 167 पुराना 421 पर खसरा नम्बर 1230 की 0.15 हेक्टर भूमि में वादी का नाम ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद ख्वाजू पुत्र नूर मोहम्मद दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 19.8.22 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:56:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
दीगोद

Scanned by CamScanner